

सख्या- 13<sup>०५</sup> / XVIII(1)/2016-02(12)/2015

देहरादून: दिनांक: 03 दिसम्बर, 2016

जनवरी, 2017

3 (V7)

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और पूर्व में इस निमित्त जारी की गयी सरकारी अधिसूचनाओं में आंशिक उपान्तरण करते हुए इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जिला चमोली में उप तहसील "देवाल" को उच्चीकृत कर पूर्ण तहसील, जिसका मुख्यालय "देवाल" में होगा और निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट ग्राम समाविष्ट होंगे, को सृजित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2 राज्यपाल यह भी निर्देश देते हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात से किसी विधि न्यायालय में, जिसने उक्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में अब तक अधिकारिता का प्रयोग किया है, पहले से प्रारम्भ या लम्बित किसी विधिक कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

नवसृजित तहसील देवाल में सम्मिलित उप तहसील देवाल के ग्रामों की सूची

क्र०सं०	ग्राम का नाम	राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी)/लेखपाल क्षेत्र का नाम
1	2	3
1.	पूर्णा	देवाल
2.	ऊणी लगा कोठी	
3.	कोठी	
4.	नन्दकेशरी	
5.	कैल	
6.	कलसीरी	
7.	अटवू	
8.	करवली चक वेराधार	
9.	बेराधार	
10.	धरा मल्ला	
11.	धरातल्ला	
12.	श्रीगथल	
13.	ईच्छोली	
14.	उलंग्रा	
15.	पैठी लगा उलंग्रा	
16.	काण्डई	
17.	हाटकल्याणी	
18.	तलौर	
19.	पदमल्ला	
20.	मीडा चक यदमल्ला	

- |     |                  |          |
|-----|------------------|----------|
| 21. | सेलखोला          |          |
| 22. | पलवरा            |          |
| 23. | रैन              | नलधूरा   |
| 24. | फैटी गूठ         |          |
| 25. | तूना चक रैन      |          |
| 26. | खेता मानमती      |          |
| 27. | चोटिंग           |          |
| 28. | घटबगड चक हरमल    |          |
| 29. | मेलखेत           |          |
| 30. | उदयपुर ल० चोटिंग |          |
| 31. | नलधूरा           |          |
| 32. | उपथर लगा हरमल    |          |
| 33. | रामपुर           |          |
| 34. | तोरती            |          |
| 35. | हरमल             |          |
| 36. | झलिया            |          |
| 37. | मोपाटा           |          |
| 38. | बजेई             |          |
| 39. | ओडर              |          |
| 40. | चौड              |          |
| 41. | कोटेडा           |          |
| 42. | लिंगडी           |          |
| 43. | पोखरीगाड         | जैनविष्ट |
| 44. | मेलमिण्डा        |          |
| 45. | फल्दीयागांव      |          |
| 46. | लौसरी            |          |
| 47. | सवाड             |          |
| 48. | घेस              |          |
| 49. | घेस चक सरमता     |          |
| 50. | हिमनी चक बहत्तरा |          |
| 51. | बहत्तरा          |          |
| 52. | पिनाऊ            |          |
| 53. | भृकुटि           |          |
| 54. | वलाणं            |          |
| 55. | काण्डई           |          |
| 56. | हरनी च० मुन्दोली | मुन्दोली |
| 57. | देवस्थली वानुडी  |          |
| 58. | मल्ला            |          |
| 59. | वेसरा            |          |
| 60. | लवाणी            |          |
| 61. | ताजपुर ल० काण्डई |          |

१५

62.

63.

बमठोपरा  
मदवाडीमार ल० सुलंज

(शुद्ध)

25

57.	वाण		
68.	कुलिंग		
69.	दिदेणा चक वाण		
70.	वांक		
71.	मुन्दोली		
72.	मैला चक मुन्दोली		
73.	सुया		
74.	धारकोट लगा सुया		
75.	देवसारी	ग्वालदम	
76.	सरकोट		
77.	सोडिंग		
78.	फरसोंगाड		
79.	चिडिंगा स्टेट		
80.	चिडिंगा खालसा		
81.	त्रिकोट		
	बुडजौला		
	जौला		
	ग्वालदम स्टेट		

16

दून

री

पी

में

पूर्ण

म

धि

से

आज्ञा से,

(डी०एस० गर्बाल)  
सचिव

ख्या- /XVIII(1)/2016 एवं तददिनांक।

तेलिपि अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को आशय से प्रेषित कि वे कृपया इसे विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड-ख परिनियत आदेश में शामिल कराकर मुद्रित अधिसूचना की 200 प्रतियां राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(जे०पी० जोशी)  
अपर सचिव

